न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गढी, जिला बांसवाडा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 04/2016

उनवान

...राज पिता कालुलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांस...

...चन्द पिता कालुलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बां...

...न्द्र कुमार पिता कालुलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला ब...

...न्द्र पिता रमणलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांसव...

...न्द्र पिता रमणलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांस...

...शीला बेवा रमणलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांसव...

—: व...

बनाम

...लाश पिता नाथु आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला ब...

...कान्ता बेवा नाथु आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बां...

...क्रान्ति पिता नाथु आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला...

...नाती बेवा गोतम आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बां...

...मनु बेवा धनजी आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला ब...

...लाला पिता हकरिया आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला...

...र्जन पिता हकरिया आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला...

...तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्र...

वाद अन्तर्गत धारा 183,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 20/3...

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के एकमात्र स्वामित्व एंव अधिपत्य की ... आराजी नम्बर 4740 रकबा 0.19 हे0, आराजी नम्बर 4741 रकबा 0.01 हे0, आराजी नम्... रकबा 0.04 हे0 एंव आराजी नम्बर 4746 रकबा 0.14 हे0 भूमि वाके ग्राम लौहारिया पटवार... लौहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। वादी उक्त आराजी नम्बर की भूमि ... काश्त करते चले आ रहे है। साथ ही अपने परिवार का भरष पोषण कर रहे है। वादीग... हुई धार्मिक यात्रा पर गये थे पिछे से उक्त प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर अ... करते हुये कुछ हिस्से में कच्चे मकान और झोपडियों का निर्माण कर लिया। वादीगण ... लौटे तो उन्होने देखा की प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। ...

किये गये अतिक्रमण को हटाने गये तो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मारने व मरने
उतारू हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण करते हुये कुछ हिस्से
मकान और झोपडियों का निर्माण करने आमादा है। जिसे जरिये आज्ञापक आदेश हटा
(बेदखल किये जाने) हेतु वाद धारा 183 रा.का.अ. के तहत् पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम
जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की तरफ से श्री दीपक जोशी अभिभाषक का वकालामन
हुआ। तत्पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गई।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक को जवाब हेतु कई अवसर दिये जानेके उपरान्त भी
पेश नही करते हुऐ प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 25.4.2017 को '' NO INSTRU
PLEAD'' किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी की
के रूप श्री देमराज पिता कालुलाल जैन का शपथ–पत्र पेश किया जाकर वादीगण की साक्ष
करवाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली एक पक्षिय बहस हेतु नियत की गई।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की एक पक्षिय बहस सुनी गई। वादी अभिभाषक की
पर संक्षिप्त मनन् करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न राजस्व अभिले
वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया गया की पटवार हल्का लौ
के मौजा लौहारिया की खाता संख्या 601 (नई) 580 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 4740 रकबा 0.1
सर्वे नम्बी 4741 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 4742 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 4746 रकब
हे0 कुल किता चार रकबा 0.38 हे0 भूमि वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त अतिक्रमित भू
बेदखल करने तथा वादीगण के काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की बाधा/रूका
तो स्वंय द्वारा करने एंव न ही किसी अन्य से बाधा/रूकावट उत्पन्न कराने का आदेश
जाता है।

(पूजा कुमारी पा
उपखण्ड अधिक
गढ़ी

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त अतिक्रमित भू
बेदखल करने तथा वादीगण के काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार कर बाधा/रूका
तो स्वंय द्वारा करने एंव न ही किसी अन्य से बाधा/रूकावट उत्पन्न कराने का आदेश
जाकर इस आशय कर डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भि
जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/3/2018 को सुनाया गया।

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : सुश्री पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 04 / 2016

उनवान

(1) हेमराज पिता कालुलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा

(2) फुलचन्द पिता कालुलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा

(3) राजेन्द्र कुमार पिता कालुलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(4) शैलेन्द्र पिता रमणलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(5) जितेन्द्र पिता रमणलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा

(6) सुशीला बेवा रमणलाल जैन जाति जैन निवासी लौहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीगण

बनाम

(1) कैलाश पिता नाथु आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(2) कान्ता बेवा नाथु आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(3) जयन्ति पिता नाथु आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(4) मोती बेवा गोतम आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(5) पानु बेवा धनजी आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(6) लाला पिता हकरिया आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(7) राजेंग पिता हकरिया आदिवासी जाति आदिवासी निवासी लौहारिया तह0 गढी जिला बांसवाडा

(8) तहसीलदार गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 20/3/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पैश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा वादीगण के काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार कर बाधा/रूकावट न तो स्वंय द्वारा करने एंव न ही किसी अन्य से बाधा/रूकावट उत्पन्न कराने का आदेश दिया जाकर इस आशय कर डिक्री जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 20/3/18 को जारी की गई।

(पूजा कुमारी पार्थ)

मुदई	रुपया पैसा	मुद्दायलह	रुपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी